न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
48 / 2021 प्रा.पत्र / 2021	24.05.2021	14.02.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–घी विक्रेता श्री ताराचन्द गुप्ता पुत्र श्री मदनलाल गुप्ता निवासी शिव मन्दिर के पास मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड–304001।
2–श्री मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री मदनलाल गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स मनीष किराणा स्टोर शिव मन्दिर के पास मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक निवासी शिव मन्दिर के पास मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड–304001।
3–मैसर्स मनीष किराणा स्टोर शिव मन्दिर के पास मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री विक्रम जैन एवं रोमेन्द्र गुर्जर उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 14/2/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2020 को समय 11:00 ए.एम. पर शुद्व के लिए युद्व अभियान के तहत संयुक्त जांच दल के साथ श्री ताराचन्द गुप्ता पुत्र श्री मदनलाल गुप्ता के मकान शिव मन्दिर के पास मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री ताराचन्द गुप्ता पुत्र श्री मदनलाल गुप्ता घी निर्माण/ विक्रय का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री ताराचन्द गुप्ता पुत्र श्री मदनलाल गुप्ता को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री ताराचन्द गुप्ता पुत्र श्री मदनलाल गुप्ता ने स्वयं को घी विक्रेता होना स्वीकार किया एवं उक्त घी का मालिक श्री मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री मदनलाल गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स मनीष किराणा स्टोर शिव मन्दिर के पास मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक को होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु घी विक्रेता के मकान में एक कमरे में 5 टिनों व एक प्लास्टिक के टब में लगभग 80 किलोग्राम **घी(खुला)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री ताराचन्द गुप्ता पुत्र श्री मदनलाल गुप्ता को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना जांच

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री ताराचन्द गुप्ता पुत्र श्री मदनलाल गुप्ता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। घी विक्रेता के मकान में एक कमरे में 5 टिनों व एक प्लास्टिक के टब में लगभग 80 किलोग्राम **घी(खुला)**, में से पूर्णतया होमोजिनियस कर 800 ग्राम घी वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी(खुला)** 800 ग्राम को ज्यों का बराबर–बराबर, नियमानुसार चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों बराबर–बराबर प्रत्येक शिशी में 200–200 ग्राम भरकर, शिशीं के ढक्कन को अच्छी तरह नियमानुसार एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2644 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2644 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/4052 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/1546/एक्ट/2020/1566 दिनांक 03.11.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी(खुला)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011की धारा 3(1)(zz)(iv) के अनुसार **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का होना पाया गया।

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/1546/एक्ट/2020/1566 दिनांक 03.11.2020 के विरूद्ध धारा 46(4) के तहत समयावधि में –घी विक्रता श्री ताराचन्द गुप्ता पुत्र श्री मदनलाल गुप्ता निवासी शिव मन्दिर के पास मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक ने पुनः नमूना जांच हेतु अपील दायर की जिस पर उक्त नमूना निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर में भिजवाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/346 दिनांक 11.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एफटी/एक्यूसीएएल/एफएसएसए(725एफ/2020/ दिनांक 01.02.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी(खुला)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (SubStandard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री विक्रम जैन एवं रोमेन्द्र गुर्जर उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध से निर्मित किया जाकर विक्रय किया जा रहा था। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी(खुला)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी(खुला)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 14/2/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सींकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0